



निदेशालय विस्तार सेवायें
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002

डॉ. वाय. पी. सिंह
निदेशक विस्तार सेवायें

फोन: 0751-2970512
ई-मेल: des@rvskvv.net

क्र. / नि.वि.से. / कृ.फे.स. / 2023-24 / 556

दिनांक: 21/06/2023

प्रति,

1. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, (समस्त)
रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म.प्र.)
2. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, (समस्त)
ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)

विषय : राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, "कृषक फैलो सम्मान"।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा आगामी स्थापना दिवस (19, अगस्त, 2023) के अवसर पर म.प्र. के तीन प्रगतिशील/अन्वेषक कृषकों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय "कृषक फैलो सम्मान से सम्मानित किया जाना है।

उपरोक्त सम्मान के इच्छुक प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषि एवं संबंधित व्यवसायों में अर्जित उपलब्धियों के स्पष्ट प्रामाणिक उल्लेख के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन दो प्रतियों में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी (कृषि/उद्यानिकी/पशुपालन/मत्त्य पालन/कृषि अभियांत्रिकी/अन्य) से अग्रेषित कराकर जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख उपरोक्त विषय में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी से अग्रेषित आवेदन पत्रों को अपने कार्यालय से उचित टिप्पणी के उपरांत उचित माध्यम से निदेशालय विस्तार सेवायें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर-474002 में दिनांक 01.08.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करा सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख उपरोक्त सम्मान से संबंधित सूचना पत्र एवं आवेदन प्रारूप की प्रति अपने जिले के कृषि एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें एवं कृषक फैलो सम्मान के बारें में अपने स्तर से अपने—अपने जिले में व्यापक प्रचार—प्रसार करें।

उपरोक्त सम्मान हेतु आवेदन का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.rvskvv.net) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न: आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशानिर्देश।

(माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार)

निदेशक विस्तार सेवायें
DIRECTOR EXTENSION SERVICES

दिनांक: 21-06-2023

क्र. / नि.वि.से. / कृ.फे.स. / 2023-24 / 557

प्रतिलिपि: सूचनार्थ।

1. माननीय कुलपति महोदय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
2. माननीय कुलपति महोदय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर (म. प्र.)
3. निदेशक, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनसंधान संस्थान (अटारी), जबलपुर
4. निदेशक विस्तार सेवायें, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कुलसचिव, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)
6. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि "कृषक फैलो सम्मान" हेतु आवेदन का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर (म. प्र.)

निदेशक विस्तार सेवायें
DIRECTOR EXTENSION SERVICES
CERVSKV, Gwalior (M.P.)

निदेशालय विस्तार सेवायें
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

कृषक फैलो सम्मान

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय/अभिनव कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के तीन कृषकों को कृषक फैलो सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है। इस अवार्ड हेतु चयनित कृषकों को दस हजार रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप दिये जायेंगे।

इच्छुक प्रगतिशील किसान संलग्न प्रपत्र में अपना नामांकन जिले के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी (कृषि/उद्यानिकी/पशुपालन/कृषि अभियांत्रिकी/आइ.सी.ए.आर. संस्थान तथा अन्य सम्बन्धित विभाग) के माध्यम से संस्तुत व अग्रेषित करवाकर कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से दिनांक.....01

उपर्युक्त, 2023 तक इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उपरोक्त सम्मान हेतु आवेदन का प्रारूप www.rvskvv.net से भी डाउनलोड किया जा सकता है।


निदेशक विस्तार सेवायें
DIRECTOR EXTENSION SERVICES
DES-RVSKVV, Gwalior (M.P.)

कृषक फैलो सम्मान
नाभांकन फार्म
राजभास्ता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रवालियर (म. प्र.)

- 1 कृषक का नाम _____
- 2 पिता का नाम _____
- 3 आवेदन वर्ष _____
- 4 ग्राम..... तहसील.....जिला.....
- 5 मोबाइल नं. _____
- (E-mail यदि है तो) _____
- 6 जन्म तारीख एवं जन्म स्थान _____
- 7 पत्र व्यवहार का पता _____
- 8 शिक्षा स्तर _____
- 9 बैंक का नाम, खाते का नम्बर एम.आई.सी.आर. कोड एवं आई.एफ.सी. कोड _____
- 10 किसान का स्वामित्व संसाधन
 - (1) भूमि (हेक्टेयर में) _____
 - (2) सिंचाई क्षमता (%) में) _____
 - (3) मछली पालन/मुर्गीपालन/पशुपालन _____
 - (4) खेती संबंधित मशीनों का उपयोग का विवरण _____
- 11 किसान का स्वामित्व संसाधन
 - (1) फसलों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) _____
 - (2) बागवानी फसलों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) _____
 - (3) कृषि वानिकी/मधुमक्खी /रेशमकीट पालन _____
 - (4) डेयरी/कुकुट/मत्स्यपालन/बतख पालन (इकाई निर्दिष्ट) _____

- 12 विकसित अभिनव कृषि प्रौद्योगिकी का विवरण प्रमाण सहित : _____
- 13 खेती में अपनाई गई नवीन तकनीकी : _____
- 14 विकसित तकनीकी में संशोधन (Modification/ Refinement) : _____
- 15 विगत दो वर्षों में विकसित विभिन्न अभिनव तकनीकों का आर्थिक विवरण
- (i) फसलें : _____
 - (ii) बागवानी फसलें : _____
 - (iii) पशुधन : _____
 - (iv) मत्स्य पालन : _____
 - (v) कृषि अभियांत्रिकी : _____
 - (vi) प्रसरकरण : _____
 - (vii) अन्य स्पष्ट करें : _____
- 16 कृषि तकनीकी में नवाचार/योगदान/सफलता की कहानी का रंगीन छायाचित्रों सहित (तीन पृष्ठों में) विस्तृत विवरण

(कृषक के हस्ताक्षर)

एवं पूरा नाम

रात्यापेता किया जाता है कि उपरोक्त अधिनय नवाचार तकनीक की जागकारी मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य है।

विभाग का नाम

सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं मुहर

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र

Criteria for Evaluation of Farming Innovation

1. Innovation

- 1.1 Severity of problems
- 1.2 Easy to handle
- 1.3 Cost effective
- 1.4 Eco friendly
- 1.5 Time taken
- 1.6 Adaptability
- 1.7 Labour intensive
- 1.8 Afford to popularization

2. Risk Management

2.1 Crop diversification

- o Kharif
- o Rabi
- o Summer

2.2 Technology

- o Improved Varieties
- o Planting Method
- o Inter Cropping
- o Plant Protection
- o HK with Photographs

2.3 Subsidiary occupation

- o Dairy
- o Fisheries
- o Goatry
- o Orchard
- o Poultry
- o Vegetable seedlings
- o Bee Keeping
- o Sericulture
- o Lac cultivation
- o Others

3. Modifications in farm implements

- 1. On farm implements
- 2. Off Farm implements

4. Recognition

- 1. Block level
- 2. District level
- 3. State Level
- 4. National Level

5. Net Income per unit area (ha) / year

< Rs. 50000

Rs. 50000-100000

> Rs. 100000

S.No.	Crop	Productivity (q./ha.)		
		Farmer	District	State

Note : Proof of yield (crop cutting) by the DDA and Sr. Scientist & Head of Concerned KVK
must be enclosed